



## प्रेस नोट

### थाना पूरनपुर पुलिस द्वारा 04 गौकश अभियुक्तों को एक गौवंशीय पशु, गौवध से सम्बन्धित उपकरणों व अवैध शस्त्रों सहित पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार।

जनपद पीलीभीत में अपराध, अपराधियों एवं जनपद में गौकशी जैसे गम्भीर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली महोदय व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली, महोदय द्वारा अपराध तथा अपराधियों तथा गौकशी जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु समय समय पर दिये गये आदेशो-निर्देशों के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी कर प्रभावी कार्यवाही करने के क्रम में क्षेत्राधिकारी पूरनपुर के कुशल नेतृत्व व निर्देशन में आज दिनांक 07.09.2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना पूरनपुर पुलिस टीम द्वारा रात्रि में खमरिया पट्टी रोड बनकटी के पास रेलवे पुलिया से 04 गौकश अभियुक्तों को 01 दो वर्षीय गौवंशीय जिन्दा बछड़ा रंग भूरा व गौवध से सम्बन्धित उपकरण चार अदद छुरी व दो अदद कुल्हाड़ी व एक हथियारों पर धार लगाने का किला व एक लकड़ी का गुटका, एक काली पन्नी व 02 अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर, 03 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा मौके पर पड़े मिले दो मोबाइल फोन 1. सेमसंग कीपेड 2. Vivo android के साथ जुर्म धारा 307/34/504 IPC व 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/25/37 शस्त्र अधिनियम में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त रिजवान पुत्र मो0 यामीन नि0 मो0 कुरैशियान शेरपुर कलां थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत व अभियुक्त जाकिर पुत्र इरफान नि0 मो0 ईदगाह शेरपुर कलां थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत द्वारा पुलिस टीम पर नाजायज तमन्चे 315 बोर से जानलेवा हमला करते हुये फायरिंग की गयी। अभियुक्तगण के द्वारा की गयी फायरिंग में एक गोली उ0नि0 दीपचन्द के सामने से पहनी बुलैट प्रुफ जैकेट की टीन में लगी। पुलिस टीम पर फायरिंग होता देख बचाव में पुलिस टीम द्वारा पोजिशन सम्भालते हुये पुलिस टीम में शामिल प्रभारी निरीक्षक जगत सिंह द्वारा सरकारी पिस्टल से व अपराध निरीक्षक उमेश कुमार द्वारा सरकारी रिवाल्वर से तथा उ0नि0 दीपचन्द द्वारा सरकारी पिस्टल से जबाबी फायरिंग की गयी। पुलिस टीम की तरफ से की गयी जबाबी फायरिंग में एक गोली अभियुक्त रिजवान पुत्र मो0 यामीन नि0 मो0 कुरैशियान शेरपुर कलां थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत के दाहिने पैर में घुटने के नीचे लगी। फायरिंग के दौरान पूरनपुर पुलिस टीम द्वारा मौका पाकर अधिक पुलिस बल हेतु SHO सेहरामऊ उत्तरी व SHO घुंघचिहाई को सूचित कर मौके पर बुलाया गया तथा मौका देख सिखलाये गये तरीके से सावधानी पूर्वक चारों अभियुक्तगण को घेर घार कर पकड़ लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक पूरनपुर जगत सिंह ने अपनी वापसी पर मु0अ0सं0- 489/2023 जुर्म धारा 307/34/504 IPC व 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/25/37 शस्त्र अधिनियम बनाम 1. रिजवान पुत्र मो0 यामीन नि0 मो0 कुरैशियान शेरपुर कलां थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत 2. जाबिर पुत्र इरफान नि0 मो0 ईदगाह शेरपुर कलां थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत 3. इरशाद पुत्र जलील अहमद नि0 मो0 ईदगाह शेरपुर कलां थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत 4. दिलशाद पुत्र नसीर अहमद नि0 मो0 फुलवडिया शेरपुर कलां थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत पंजीकृत कराया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तारशुदा अभि0गण 1. रिजवान, 2. जाकिर, 3. इरशाद, 4. दिलशाद उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा मुठभेड़ के दौरान घायल अभियुक्त रिजवान उपरोक्त को उचित इलाज दिलवाया जा रहा है।

#### गिरफ्तारशुदा अभियुक्त -

1. रिजवान पुत्र मो0 यामीन नि0 मो0 कुरैशियान शेरपुर कलां थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत
2. जाबिर पुत्र इरफान नि0 मो0 ईदगाह शेरपुर कलां थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत
3. इरशाद पुत्र जलील अहमद नि0 मो0 ईदगाह शेरपुर कलां थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत
4. दिलशाद पुत्र नसीर अहमद नि0 मो0 फुलवडिया शेरपुर कलां थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत

## बरामदगी-

1. दो वर्षीय गौवंशीय जिन्दा बछड़ा रंग भूरा
2. गौवध से सम्बन्धित उपकरण चार अदद छुरी व दो अदद कुल्हाड़ी व एक हथियारो पर धार लगाने का किला व एक लकड़ी का गुटका, एक काली पन्नी
3. दो अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर,
4. तीन खोखा कारतूस 315 बोर
5. दो जिन्दा कारतूस 315 बोर
6. मौके पर पड़े मिले दो मोबाइल फोन 1. सेमसंग कीपेड 2. Vivo android

## अपराधिक इतिहास

### **जाबिर खाँ पुत्र इरफान उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम शेरपुर कला**

1. मु0 अ0 स0 242/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट
2. मु0अ0स0 132/2023 धारा 3/5/5ए/8 सीएस एक्ट
3. मु0अ0स0 489/23 धारा 3/8 सीएस एक्ट 307/34/504 भादवि 11 पशु क्रूरता अधिनियम 3/25/27 आयुध अधिनियम

### **रिजवान पुत्र यामीन उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम शेरपुर कला**

1. मु0अ0स0 121/22 धारा 60(1) आब0अधि0
2. मु0अ0स0 443/19 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0
3. मु0अ0स0 44/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
4. मु0अ0स0 239/21 धारा 429 भादवि
5. मु0अ0स0 489/23 धारा 3/8 सीएस एक्ट 307/34/504 भादवि 11 पशु क्रूरता अधि0 3/25/27 आयुध अधि0

### **इरशाद पुत्र जलील अहमद उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम शेरपुर कला**

1. मु0अ0स0 489/23 धारा 3/8 सीएस एक्ट 307/34/504 भादवि 11 पशु क्रूरता अधि0 3/25/27 आयुध अधि0
2. दिलशाद पुत्र नसीर अहमद उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम शेरपुर कला
3. मु0अ0स0 489/23 धारा 3/8 सीएस एक्ट 307/34/504 भादवि 11 पशु क्रूरता अधि0 3/25/27 आयुध अधि0

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक पूरनपुर जगत सिंह
2. अपराध निरीक्षक श्री उमेश कुमार
3. उ0नि0 श्री दीपचन्द
4. उ0नि0 श्री अजीत सिसौदिया
5. हे0का0 खालिद
6. हे0का0 सईद अहमद
7. हे0का0 अनुराग सिंह
8. का0 रजत बालियान
9. का0 अप्फान अंसारी
10. का0 अंकित तालियान
11. का0 चालक अमरजीत
12. का0 चालक जसमेन्द्र सिंह